जननी सुरक्षा योजना

As on Report November, 2016

क्र.सं.	योजना के बिन्दू	योजना का विवरण
1.	संक्षिप्त परिचय	मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु व संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु यह योजना लागू की गई। जिसके अन्तर्गत प्रसूताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	सितम्बर, 2005
3.	लाभाविन्त वर्ग	• सभी वर्ग की महिलाऐं जो सरकारी चिकित्सा संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाती है। • बीपीएल परिवार की महिलाऐं जिनका घरेलू प्रसव होता है।
4.	पात्रता	• सभी वर्ग की गर्भवती महिलाऐं जो सरकारी चिकित्सा संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाती है व सामान्य वार्ड में भर्ती होती है। • बीपीएल परिवार की सभी महिलाऐं जिनका घरेलू प्रसव हुआ हो।
5.	देय सुविधायें	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर राशि रूपये 1400/- नकद सहायता और राशि रूपये 300/- आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन व राशि रूपये 300/- प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान करने पर देय होंगे। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर राशि रूपये 1000/- की नकद सहायता राशि देय होगी। राशि रूपये 200/- आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन व राशि रूपये 200/- प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान करने पर देय होगे । बीपीएल परिवार की सभी महिलाओं को घरेलू प्रसव पर राशि रूपये 500/- देय होंगे।

6.	**आवेदन का तरीका**	राजकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में प्रसव एवं उपचार कराया जाना।
7.	**आवेदन कहां किया जावे**	जिस राजकीय संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों मे प्रसव एवं उपचार कराया गया।
8.	**सम्पर्क सूत्र**	संस्था प्रभारी, जहां प्रसव एवं उपचार कराया गया है।